



2026:AHC:50097

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट -सी संख्या -9010 वर्ष 2026

श्रीमती रासलीला

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: अलाउद्दीन, फखरुद्दीन

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., पंकज कुमार गुप्ता

कोर्ट नंबर - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
2. आज पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी-प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
3. प्रस्तुत रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा केवल यही प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील खलीलाबाद, जिला संत कबीर नगर को यह निर्देश दिया जाए कि वे यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 35(2) के अंतर्गत, वाद संख्या 17142 वर्ष 2025 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202517650217142) (रासलीला एवं अन्य बनाम वरफी रानी) का विनिश्चय निर्धारित समयावधि के भीतर करें।
4. पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, और इस मुद्दे के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस रिट याचिका का **अंतिम रूप से निपटारा** किया जाता है। इसके साथ ही, प्रतिवादी संख्या 2, यानी उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील खलीलाबाद, जिला संत कबीर नगर को यह निर्देश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त आवेदन पर कानून के अनुसार, शीघ्रता से अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर—निर्णय लें, बशर्ते कि इसमें कोई कानूनी बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,)

11 मार्च, 2026

स्वाति

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।